भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2184

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर रोगियों का किफायती लागत पर इलाज

†2184. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं कि देशभर में, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को कैंसर का किफ़ायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण निदान, उपचार और उपशामक देखभाल प्राप्त हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हाल ही में कोई नीतिगत हस्तक्षेप किया गया है;

(ख) क्या विगत चार वर्षों के दौरान कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के क्षेत्र में अनुसंधान में कोई महत्वपूर्ण परिणाम, नवाचार या नए नैदानिक नवाचार विकसित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उक्त विकास-कार्यों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है;

(घ) कैंसर देखभाल प्रदायगी और अनुसंधान को मजबूत करने में राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी) की भूमिका और कार्यप्रणाली क्या है तथा उक्त ग्रिड के अंतर्गत कैंसर केंद्रों, संबद्ध अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और साझेदार अस्पतालों की राज्य-वार सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नेटवर्क के अंतर्गत सहयोग से कैंसर रोगियों को, विशेषकर जमीनी स्तर पर, कितना लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में, गैर-संचारी रोगों (एनपी-एनसीडी) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता और प्रस्ताव के अनुसार कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जाँच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में कैंसर सहित आम गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है।

भारत सरकार विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्रों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना लागू कर रही है। इस पहल के तहत, राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) को ₹120 करोड़ तक और विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों (टीसीसीसी) को राज्य के हिस्से सहित ₹45 करोड़ तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, देश भर में 19 एससीआई और 20 टीसीसीसी को मंजूरी दी जा चुकी है। ये संस्थान उन्नत कैंसर परिचर्या, निदान, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं और विशेष बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ मानव संसाधन से सुसज्जित हैं। टीसीसीसी और एससीआई उच्च गुणवत्ता वाली परिचर्या प्रदान करने और जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने देश भर के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक कैंसर परिचर्या उपचार प्रदान करने वाले 6 अस्पताल स्थापित किए हैं, जिनमें वाराणसी (उत्तर प्रदेश), न्यू चंडीगढ़ (पंजाब), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी (असम), संगरूर (पंजाब) और मुजफ्फरपुर (बिहार) शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्रशामक परिचर्या कार्यक्रम (एनपीपीसी) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 600 जिलों के जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी और अंतरंग प्रशामक देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा घर पर भी प्रशामक देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी) कैंसर केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और सहयोगी अस्पतालों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों में एकसमान, उच्च गुणवत्ता वाली और साक्ष्य-आधारित कैंसर देखभाल सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीय उपचार दिशानिर्देश विकसित करता है, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करता है, जटिल मामलों के लिए वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड आयोजित करता है, संस्थागत समकक्षी समीक्षा करता है, गुणवत्ता सुधार और यात्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और टेली-परामर्श सेवाओं सहित डिजिटल ऑन्कोलॉजी पहलों की सहायता करता है। यह समूह वार्ताओं के माध्यम से दवाओं की वहनीयता में सुधार करता है और फेलोशिप, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। वर्तमान में, एनसीजी में 394

सदस्य संगठन हैं। पिछले दो वर्षों में एनसीजी में कुल 80 कैंसर केंद्र जोड़े गए हैं। इन केंद्रों में प्रतिवर्ष 860,000 से अधिक नए कैंसर मामलों का इलाज किया जाता है।

(ङ) कैंसर के लिए एनसीजी के प्रतिपूर्ति दिशानिर्देशों को एबीपीएम-जेएवाई से जोड़ने से यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभार्थियों को अनुशंसित मानकों के अनुसार उपचार मिले। एनसीजी द्वारा लागू किया जा रहा ऑन्कोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) रोगियों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड का स्वामित्व प्रदान करता है, केंद्रों के बीच रोगियों की देखभाल के सुचारू हस्तांतरण को सुगम बनाता है और उपचार की गुणवत्ता की निगरानी पर ध्यान देता है। सामूहिक खरीद से दूरदराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाओं की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार हुआ है, जिससे दवा की लागत और स्टॉक की कमी के कारण उपचार में कोई बाधा नहीं आती है। वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड ने 7000 से अधिक जटिल कैंसर मामलों के उचित उपचार में सहायता की है। छोटे केंद्रों के डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध पेशेवरों सहित मानव संसाधन के प्रशिक्षण से जमीनी स्तर पर देखभाल में सुधार हुआ है।

*****